कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/छाप्रोप्र/सी–1/बजट घोषणा–155.0.0/2017 दिनांकः– 22.11.17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

विषय – आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य सवंर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव अविलम्ब भिजवाने हेतु।

प्रसंग – शासन उप सचिव प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग जयपुर का पत्रांक – पं1(3)शिक्षा–1/2017 दिनांक–16.10.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपके जिले के सामान्य सवंर्ग के मेधावी विद्यार्थियों की सूची जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से प्राप्त हुई है इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। यह सूचियां माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा (कला, विज्ञान, वाणिज्य) 2017 के राज्य स्तर पर प्रथम तीन सौ–तीन सौ विद्यार्थियों तथा प्रवेशिका परीक्षा एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2017 के राज्य स्तर पर प्रथम पचास–पचास विद्यार्थियों की प्राप्त की गई थीं। उनमें से आपके जिले से सम्बन्धित मेरिट में सम्मिलित विद्यार्थियों की सूची असपको भेजी जा कर निर्देशित किया जाता है कि –

1. सूची में सम्मिलित सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रु 2,50,000 से कम है को माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017 –18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 की अनुपालना में रु 15000 एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे।
2. उक्त श्रेणी के मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा में 75 % या अधिक अंक प्राप्त किए हों वे ही पात्र होंगे।
3. अंतिम वरीयता पर एक से अधिक विद्यार्थी होने की स्थिति में कमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पात्र होगा। यदि इन दोनों विषयों में भी अंक समान होते हैं तो अधिक उम्र वाला विद्यार्थी पात्र होगा।
4. माननीया मुख्यमंत्री की बजट घोषणा सं. 155.0.4 में मा.शि.बोर्ड की परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक लाने वाली प्रथम 100 छात्राओं को स्कूटी वितरण की भी घोषणा की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि इस श्रेणी में आने वाली मेधावी छात्राओं को उक्त में से किसी एक योजना का ही लाभ देय होगा।
5. इस योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थियों को अन्य योजनाओं – यथा – साइकिल, ट्रांसपोर्ट वाउचर, लैपटॉप आदि योजनाओं में पात्र होने पर का लाभ भी देय होगा।
6. संलग्न प्रारूप में समस्त विवरण पूरित कर दिनांक 30.11.2017 तक अनिवार्यतः जरिये मेल आई डी dse.scholar.dse@ rajasthan.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– जिलेवार सूची संलग्न

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (माध्यमिक) —————— को प्रभावी प्रबोधन हेतु ।

निदेशक

www.rajteachers.com

प्रपत्र–अ

आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य सवंर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना

क. सं.	नाम विद्यार्थी	पिता का नाम	कक्षा (संकाय)	प्राप्तांक प्रतिशत	विद्यालय का नाम	माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय	अनिवार्य हिन्दी में प्राप्तांक	अनिवार्य अंग्रेजी में प्राप्तांक	छात्रा है तो स्कूटी हेतु पात्र है या नहीं

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक प्रथम / द्वितीय

....:

www.rajteachers.com